

**अनुदान संख्या 10 – वाणिज्य विभाग**  
**GRANT No. 10 - DEPARTMENT OF COMMERCE**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित—	Charged-			
मूल	Original	1.00		
		50,00	8,20	-41,80
पूरक	Supplementary	49,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	5709,31,00		
		6078,31,00	6024,38,97	-53,92,03
पूरक	Supplementary	369,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			39,35,96
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	510,00,00		
		919,97,00	919,96,34	-66
पूरक	Supplementary	409,97,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत हिस्से में, कुल बचतें (₹5392.02 लाख) नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

**Notes and comments**

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall saving (₹5392.02 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grants obtained in November, 2019 and March, 2020 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	17499.00			
पू.	S.	1.00	15142.08	14943.63	-198.45
पु.	R.	-2357.92			
मुख्य शीर्ष "2407"	Major Head "2407"				
बागान	Plantations				
मू.	O.	52640.00			
पू.	S.	7598.00	70420.75	70420.75	..
पु.	R.	10182.75			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10000.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-10001.00			
मुख्य शीर्ष "3453"	Major Head "3453"				
विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	485792.00			
पू.	S.	29300.00	513332.21	512074.59	-1257.62
पु.	R.	-1759.79			

(I) ₹10506.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें ₹10001.00 लाख मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) “चाय – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹4921.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(खा) “कॉफी – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹1080.00 लाख;

(गा) “रबड़ – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹2770.00 लाख;

(घा) “मसाले – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकारी और स्वायत्त निकाय” – ₹690.00 लाख;

(ङ) “अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹540.00 लाख ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(II) मुख्य शीर्ष “3453” – “निर्यात संवर्द्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता – निर्यात संवर्द्धन स्कीम” के अंतर्गत – ₹62500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2499.90 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹64999.90 लाख किया गया जो, तथापि, कार्यान्वयन एजेंसियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण ₹711.30 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ।

(III) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – वाणिज्य विभाग” के अंतर्गत – ₹2394.64 लाख की बचत (₹1.00 लाख

(I) Provision of ₹10506.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹10001.00 lakhs accounted for under Major Head “2552” - under the following heads:-

(A) “Tea - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹4921.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakhs);

(B) “Coffee - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹1080.00 lakhs;

(C) “Rubber - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹2770.00 lakhs;

(D) “Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹690.00 lakhs; and

(E) “Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹540.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head “3453” - “Assistance for Export Promotion and Market Development - Export Promotion Schemes” - the original provision of ₹62500.00 lakhs was augmented to ₹64999.90 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2499.90 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹711.30 lakhs - due to receipt of less claims from implementing agencies.

(III) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Commerce” - saving of ₹2394.64

के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹16997.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2407” - “कॉफी - बागान के लिए सहायिकी - बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” के अंतर्गत - ₹1847.50 लाख की बचत (₹4531.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अप्रत्याशित वर्षा और कॉफी के कम मूल्य के कारण काफी उत्पादकों द्वारा मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा के अंदर कम कार्यकलाप किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3453” के अंतर्गत - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “व्यापार सूचना तथा सांख्यिकी - महानिदेशक वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकी” - ₹826.52 लाख की बचत (₹3934.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और महानिदेशक विदेश व्यापार के आई टी सिस्टम में सुधार के कारण हुई।

(खा) “निर्यात सहायिकी - प्री एंड प्रोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम” - ₹1970.00 लाख की बचत (₹291000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय रिजर्व बैंक से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) “निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता - विशेषीकृत कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए)” - ₹6802.16 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम दावे प्राप्त होने तथा कुछ दावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घा) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - टीएंडटी पर जीए के लिए संविदाकार पक्षकारों को अंशदान” - ₹665.61 लाख की बचत

lakhs (against the total sanctioned provision of ₹16997.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non filling up of vacant posts and requirement of less funds towards establishment related expenses.

(IV) Under Major Head “2407” - “Coffee - Subsidy for Plantation - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - saving of ₹1847.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4531.00 lakhs) was due to less activities undertaken by coffee growers in Medium Term Expenditure Framework owing to unprecedented rainfall and low coffee price.

(V) Under Major Head “3453” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Trade Information and Statistics - Director General of Commercial Intelligence and Statistics” - saving of ₹826.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3934.00 lakhs) was due to non filling up of vacant posts and requirement of less funds towards establishment related expenses and revamping of Director General of Foreign Trade IT System.

(B) “Export Subsidy - Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit” - saving of ₹1970.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹291000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Reserve Bank of India.

(C) “Assistance for Export Promotion and Market Development - Transport and Marketing Assistance for specified Agriculture Products (TMA)” - saving of ₹6802.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from implementing agencies and non - finalisation of some claims.

(D) “International Cooperation - Contribution to the Contracting Parties to the GA on T&T” - saving of

(₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय निकायों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹968.25 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत से 75 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹19703.99 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹36899.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष “2407” -

(क) “चाय - अन्य व्यय - बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय” - ₹5920.00 लाख।

(ख) “कॉफी” -

(i) “उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगी - बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” - ₹1847.00 लाख।

(ii) “अन्य व्यय - बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” - ₹1080.00 लाख।

(ग) “मसाले - अन्य व्यय - बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” - ₹690.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष “3453” -

(क) “विदेश व्यापार नियंत्रण - अवसंरचना तथा आईटी आदि का आधुनिकीकरण” - ₹1256.70 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1187.61 लाख था।

₹665.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from International Bodies.

(VI) Under three heads savings of ₹968.25 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 16 percent to 75 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹19703.99 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹36899.00 lakhs under the following major heads: -

(A) Major Head “2407” -

(a) “Tea - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹5920.00 lakhs.

(b) “Coffee” -

(i) “Payment against collection of Cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹1847.00 lakhs.

(ii) “Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹1080.00 lakhs.

(c) “Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹690.00 lakhs.

(B) Major Head “3453” -

(a) “Foreign Trade Control - Modernization of Infrastructure & IT etc.” - ₹1256.70 lakhs. Actual excess, however, was ₹1187.61 lakhs

(ख) “व्यापार प्रतिनिधित्व – व्यापार आयुक्त” – ₹1565.75 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1385.13 लाख था।

(ग) “निर्यात संवर्द्धन और बाजार विकास के लिए सहायता” –

(i) “निर्यात संवर्द्धन और बाजार विकास संगठन के लिए सहायता अनुदान” – ₹5845.79 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹5550.55 लाख था।

(ii) “बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹1102.00 लाख।

(घ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹396.75 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹396.70 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2407” – “रबड़ – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹2770.00 लाख का अधिक व्यय (₹139.00 लाख के प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

### 3. मूल्य स्थिरीकरण निधि

चाय, कॉफी, रबड़ और तंबाकू जैसे छोटे उत्पादकों, जिनकी भूमि की प्रचालनात्मक धारिता चार हेक्टेयर तक हो, को वित्तीय राहत मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्ति ऑपरेशनों की रीति का सहारा लिए बिना, मूल्य स्थिरीकरण निधि की शुरुआत अप्रैल, 2003 में 10 वर्षों के लिए की गई थी। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा सितंबर, 2003 में मूल्य स्थिरीकरण निधि न्यास का गठन किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार के ₹482.88 करोड़ तथा उत्पादकों के ₹17.22 करोड़ (प्रवेश शुल्क संबंधी) अंशदान सहित ₹500 करोड़ रूपए का कॉर्पस

(b) “Trade Representation - Trade Commissioners” - ₹1565.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹1385.13 lakhs.

(c) “Assistance for Export Promotion and Market Development” -

(i) “Grant-in-Aid to Export Promotion and Market Development Organization” - ₹5845.79 lakhs. Actual excess, however, was ₹5550.55 lakhs.

(ii) “Boards, Authorities and Autonomous Bodies” - ₹1102.00 lakhs.

(d) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Boards, Authorities and Autonomous Bodies” - ₹396.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹396.70 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2407” - “Rubber - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - excess of ₹2770.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹139.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim

### 3. Price Stabilization Fund

Price Stabilization Fund was introduced in April, 2003 for a period of 10 years with the objective of providing financial relief to small growers of tea, coffee, rubber and tobacco having operational holdings of land up to four hectares, when the price fall below the average price of previous seven years International price, without resorting to the practice of procurement operations by Government agencies. Price Stabilization Fund Trust was set up by the Government in September, 2003 to implement the

भारत सरकार के सार्वजनिक खातों में रखा जाना था। उत्पादक सदस्य को प्रवेश शुल्क के लिए ₹500 (अप्रतिदेय) जमा करने थे, जो कि मूल्य स्थिरीकरण निधि की कॉर्पस निधि का एक भाग बनते। यह स्कीम 30.09.2013 को बंद की गयी थी।

scheme. Under the scheme, a corpus of ₹500 crores was to be kept in Public Account of Government of India with Government of India contribution of ₹482.88 crores and Growers' contribution (towards entry fee) of ₹17.22 crores. The grower member was required to deposit ₹500 (Non-refundable) towards entry fee, which would form part of the corpus fund of PSF. The scheme was closed on 30.09.2013.

वर्ष 2019-20 की मूल्य स्थिरीकरण निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

*The Account of Price Stabilization Fund for 2019-2020 was as follows: -*

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	1280,01,25
प्राप्तियां	Receipts	शून्य NIL
ब्याज जमा	Interest Credited	99,84,10
भुगतान	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	1379,85,35